

राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीतिमसौदा

प्रलिस के लयः

डेटा गोपनीयता, राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति, डेटा संरक्षण ।

मैन्स के लयः

राष्ट्रीय डेटा शासन फ्रेमवर्क नीति, डेटा गोपनीयता और डेटा संरक्षण से संबंधति मुद्दे, आईपीआर मुद्दे ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) ने संशोधति राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीतिमसौदा जारी कयि है ।

राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीतिमसौदा के बारे में:

■ संशोधति मसौदा:

- नया मसौदा 'नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी' अब समाप्त हो चुकी ['इंडिया डेटा एक्सेसबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी'](#) का प्रतसिथापन है ।
- नीतिका लक्ष्य शासन में सुधार के लयि सरकार के **डेटा संग्रह का आधुनिकीकरण करना, देशव्यापी आर्टफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एवं डेटा-आधारति अनुसंधान और स्टार्टअप पारसिथितिकी तंत्र** को सक्षम करना है ।

■ प्रावधान:

- **भारतीय डेटासेट कार्यक्रम:** यह एक भारत डेटासेट कार्यक्रम की स्थापना का आह्वान करता है, जसिमें भारतीय नागरिकों या भारत के लोगों से केंद्र सरकार की संस्थाओं द्वारा एकत्र कयि गए गैर-व्यक्तगति और अज्ञात डेटासेट शामिल होंगे । नजि फर्मों को ऐसी जानकारी साझा करने के लयि "प्रोत्साहति" कयि जाएगा ।
 - इस कार्यक्रम के तहत **गैर-व्यक्तगति डेटा स्टार्टअप और भारतीय शोधकर्त्ताओं के लयि सुलभ होगा ।**
 - गैर-व्यक्तगति डेटा, डेटा का समूह है जसिमें व्यक्तगति रूप से पहचान योग्य जानकारी नहीं होती है; अर्थात् इस तरह के डेटा को देखकर कसि भी व्यक्तिकी पहचान नहीं की जा सकती है ।
 - **गैर-व्यक्तगति डेटा** का उपयोग करने का प्रस्ताव सबसे पहले इंफोससि के सह-संस्थापक कसि गोपालकृष्णन की अध्यक्षता वाली सरकारी समति द्वारा प्रस्तुत कयि गया था, जसि इस तरह के डेटा के आर्थिक मूल्य की समीक्षा करने और इससे उत्पन्न होने वाली चिंताओं को दूर करने के लयि स्थापति कयि गया था ।
- **इंडिया डेटा मैनेजमेंट ऑफिस (IDMO):** इस ड्राफ्ट में इंडिया डेटा मैनेजमेंट ऑफिस (IDMO) के निर्माण का भी प्रावधान कयि गया है, जो इंडिया डेटासेट प्लेटफॉर्म की संरचना का निर्माण और उसका प्रबंधन करेगा ।
 - IDMO सभी संस्थाओं (सरकारी व नजि) हेतु नाम प्रकट न करने संबंधी **मानकों सहति अन्य नयिमें** का निर्धारण करेगा ।
 - सुरक्षा और वशिवास के उद्देश्यों के लयि कसि भी संस्था द्वारा कोई भी गैर-व्यक्तगति डेटा साझाकरण केवल IDMO द्वारा नामति एवं अधिकृत प्लेटफॉर्मस के माध्यम से हो सकता है ।
- **डेटा की बकिरी को रोकना:** इस नए ड्राफ्ट में सबसे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन केंद्रीय स्तर पर एकत्र डेटा की खुले बाज़ार में बकिरी के संबंध में कयि गया है; ये बदलाव पुराने ड्राफ्ट में सबसे विवादास्पद प्रावधानों में से हैं ।

- **आवेदन:** एक बार अंतिम रूप देने के बाद नीति सभी गैर-व्यक्तगति डेटासेट और संबंधति मानकों तथा नयिमें के साथ-साथ स्टार्टअप व शोधकर्त्ताओं द्वारा इसकी पहुँच को नयितरति करने वाले सभी केंद्र सरकार के विभागों पर लागू होगी ।

○ राज्य सरकारों को नीतिके प्रावधानों को अपनाने के लयि "प्रोत्साहति" कयि जाएगा ।

■ भारत डेटा एक्सेसबिलिटी और उपयोग नीति:

- पुराने मसौदे- 'इंडिया डेटा एक्सेसबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी' में प्रस्तावति कयि गया था कि केंद्र द्वारा एकत्र कयि गया डेटा जसिमें "मूल्यवर्द्धन कयि गया है", को खुले बाज़ार में "उचित मूल्य" पर बेचा जा सकता है ।
 - **भारत में डेटा संरक्षण कानून** के अभाव में सरकार द्वारा इसे मुद्रीकृत करने के लयि डेटा एकत्र करने के बारे में सवाल के साथ व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा ।

नए मसौदे की चुनौतियाँ:

- IDMO की संरचना और प्रक्रिया को नई मसौदा नीति में स्पष्ट नहीं किया गया है।
- विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि निजी कंपनियाँ स्वेच्छा से गैर-व्यक्तिगत डेटा साझा नहीं कर सकती हैं।
 - इसमें व्यापार और बौद्धिक संपदा के मुद्दे हो सकते हैं।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/draft-national-data-governance-framework-policy>

